

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, सी—अनुभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2025 का सूचना तथा कार्यक्रम //

दिनांक 13 / 02 / 2025

क्रमांक एफ-09-115/गृह-सी/परीक्षा/2024:— छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 से सोमवार 10 मार्च, 2025 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर(बस्तर) तथा अस्थिकापुर(सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी:—

सोमवार, दिनांक 03 / 03 / 2025

क्रमांक	प्रश्न पत्र	समय
1.	पहला प्रश्न पत्र—दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया(पुस्तकों सहित) भू—अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया—उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रातः 10.00 बजे से
4.	विधि तथा प्रक्रिया —विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	दोपहर 1.00 बजे तक।
5.	पहला प्रश्न पत्र—सहकारिता(बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	Paper-1, "Electrical Laws(Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	

सोमवार, दिनांक 03 / 03 / 2025

6.	दूसरा प्रश्न पत्र—दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू—अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये	
7.	दूसरा प्रश्न पत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से
8.	प्रश्न पत्र—समाज कल्याण(बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	शाम 5.00 बजे तक।
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety(Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	

(2)

मंगलवार, दिनांक 04 / 03 / 2025

9.	पहला प्रश्न पत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग—“ए”, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	<p>प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।</p>
10.	पहला प्रश्न पत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू—अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग—“बी”	
11.	पहला प्रश्न पत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू—अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग—“सी”	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र— खनिज प्रबंध(पुस्तकों—सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया — प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
61.	Paper-3, "Electrical Installation(Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र—लेखा(बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक(पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये	

मंगलवार, दिनांक 04 / 03 / 2025

15.	दूसरा प्रश्न पत्र—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू— अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	<p>दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।</p>
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान(पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	प्रश्न पत्र—समाज शिक्षा(बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	प्रश्न पत्र 4—लेखा व स्थापना(बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक(पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये	

बुधवार, दिनांक 05 / 03 / 2025

20.	तीसरा प्रश्न पत्र— प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये	<p>प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।</p>
21.	प्रश्न पत्र—पुस्तपालन तथा कर निर्धारण(पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम—वन विधि(बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र—प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	प्रश्न पत्र—“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के),	
63.	Paper-5, "Switchgear and Protection(Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र—महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये	

बुधवार, दिनांक 05 / 03 / 2025

25.	प्रश्न पत्र—कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	<p>दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।</p>
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया(पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये	
27.	प्रश्न पत्र—“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम(बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये	
31.	चौथा प्रश्न पत्र—सहकारी लेखा तथा परीक्षण(बिना पुस्तकों के) भाग—1, लेखा भाग—2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	Paper-6, "Insulation Co-ordination & Hazardous Areas(Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र—बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास(बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये	

(4)

गुरुवार, दिनांक 06 / 03 / 2025

33.	प्रथम प्रश्न पत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू—अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	<p>प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।</p>
34.	प्रश्न पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
36.	प्रश्न पत्र—न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
37.	प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 06 / 03 / 2025

41.	प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	<p>दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।</p>
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा एवं भू—अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र—लेखा(पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	

शुक्रवार, दिनांक 07 / 03 / 2025

45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1(बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया(बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र- छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास(पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया(पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों,डिप्टी कलेक्टरों,तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख,सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।

शुक्रवार, दिनांक 07 / 03 / 2025

51.	प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2(पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश /प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा(बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया(पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय-अनु0जाति तथा आदिवासी(अनु0जन0जाति) विकास,जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

शनिवार, दिनांक 08/03/2025 एवं रविवार, दिनांक 09/03/2025 को शासकीय अवकाश

सोमवार, दिनांक 10/03/2025

58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
---	--

नोट:-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19/03/99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाद्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है।

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी। उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह०स० से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे।

इन प्रमाण पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें।

4. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

5. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा।

(रुचि शर्मा)
अवरुद्ध समिति
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, सी-अनुभाग
४/ (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

(7)

पृष्ठा 09—115 / गृह—सी / परीक्षा / 2024
प्रतिलिपि:—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/02/2025

1. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर ७०८० राजपत्र भाग—१ के तीन लगातार अंकों में निश्चित रूप से तत्काल प्रकाशनार्थ अप्रेषित।
2. शासन के समस्त संबंधित विभाग, छत्तीसगढ़।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
7. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर अप्रेषित कर निवेदन है कि उक्त सूचना एवं कार्यक्रम को प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर कृपया इस विभाग को अवगत कराये।

(रुचि शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग, सी—अनुभाग
४ (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)